भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/07/15/2017/एफ.सी. / 153 दिनाँक: 18.7.17

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/RAIL/20470/2016

विषयः उदयपुर–हिम्मतनगर रेलवे लाईन के गेज परिवर्तन बाबत 35.7823 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक– एफ14()/2016/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/2155, दिनांक– 04.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण मे विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करे ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की .kml file की सी0डी0 नही प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रस्तावित वन भूमि की ऑनलाईन अपलोड .kml file खुल नही रही है, जिसके कारण DSS Analysis संभव नही है।
3. प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र नही प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन के Geo Coordinates नही दिये गये हैं एवं टोपोशीट मानक अनुसार (अर्थात् 1:50,000 पैमाने पर) नही प्रस्तुत की गयी है।
5. प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र बिना जिलाधिकारी, उदयपुर की मोहर के छायाप्रति में प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रस्ताव में अधिकतर दस्तावेज/प्रमाण पत्र छायाप्रति में प्रस्तुत किये गयें है।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण (गैर वन भूमि पर) की टोपोशीट बिना शीर्षक एवं तालिका के प्रस्तुत किये गये हैं।
8. एन0पी0वी0 की गणना गलत दर से प्रस्तुत की गयी है।
9. प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नाम, पद, मोहर एवं दिनांक सहित उपलबध कराये जाएं।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
2. उप मुख्य इंजीनियर, उ0 प0 रेलवे, उदयपुर, राजस्थान।
3. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
4. आदेश पत्रावली ।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Kindly provide the Required Information by GoI.

18/7/17

Secretary to Government
Forest Department
Govt. Secretariat, Jaipur

APCCF & Nodal officer
FCA